

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 874]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 नवम्बर 2025 — कार्तिक 29, शक 1947

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक/LAND/489/2025-FOREST.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1926 का 16) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित सूची के कॉलम (4) एवं (5) में क्रमशः यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नंबर एवं क्षेत्र की भूमि को, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर "आरक्षित वन" के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण के लिये तथा उक्त अधिनियम के अध्याय-दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोंड़ी उपरोड़ा उप-खण्डको वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

जिला : कोरबा		तहसील : पोंड़ी उपरोड़ा		वनमण्डल : कटघोरा	वन परिक्षेत्र : पसान
स.क्र.	वन खण्ड का नाम	पटवारी हल्का नंबर एवं राजस्व ग्राम का नाम, जहां वन खण्ड स्थित है	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. मे) एवं भूमि की मद	अवस्थिति एवं सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जल्के पार्ट 1	प.ह.न. 12 जल्के	753/1	5.858 (बड़े झाड़ का जंगल)	उत्तर- कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 03 तक। पूर्व - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 03 से 04 तक एवं 04 से संरक्षित वन खण्ड पी. 201 के मुनार

					क्र. 31 तक। दक्षिण - संरक्षित वन खण्ड कक्ष क्र. पी. 201 के मुनारा क्र. 31 से 32 तक। पश्चिम - संरक्षित वन खण्ड कक्ष क्र. पी. 201 के मुनारा क्र. 32 से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 05, 06 एवं 06 से 01 तक।
		योग	01	5.858	
2.	जल्के पार्ट 2	प.ह.न. 12 जल्के	508/1	7.642 (बड़े झाड़ का जंगल)	उत्तर - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 से 02 तक। पूर्व - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 02 से 05 तक। दक्षिण - कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 05 से 07 तक संरक्षित वन खण्ड कक्ष क्र. पी. 201 के मुनारा क्र. 45 तक। पश्चिम - संरक्षित वन खण्ड कक्ष क्र. पी. 201 के मुनारा क्र. 44 तक एवं मुनार क्र. 44 से कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 01 तक।
		योग	01	7.642	
		महायोग	02	13.500	

अधिसूचना के प्रकाशन का आधार :-

- (1) प्रकरण का नाम - आवेदनकर्ता मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एजेंसी द्वारा 220/132 के.व्ही. छूरी - कोटमीकला लाईन में परिवर्तन (परिवर्तित वन रकबा 6.617 हे.)
- (2) भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वन परिवर्तन के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन में MOEF&CC Letter No. FC-8/11/2024-IRO-रायपुर/52 दिनांक 17-05-2024.
- (3) कलेक्टर द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (भू-अभिलेख अनुभाग), कोरबा पत्र 666/bhu.aa/वन अधि./2023 दिनांक 02.06.2023.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 नवम्बर 2025

क्रमांक/LAND/489/2025-FOREST.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/LAND/489/2025-FOREST दिनांक 14-11-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 14th November 2025

NOTIFICATION

No./LAND/489/2025-FOREST.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that it has been decided to constitute the following land with Khasra Numbers and areas as shown in column (4) and (5) respectively of the Schedule mentioned below and within such situation and limits as specified in column (6) of the said Schedule as "Reserved Forest" and appoints the Sub-divisional Officer (Revenue), Podi Uproda sub-division to act as the Forest Settlement Officer to inquire in to and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same in accordance with the provisions of Chapter-II of the said Act, namely:-

SCHEDULE

District : Korba		Tahshil : Podi Uproda		Division : Katghora		Range : Pasan
S.No	Name of Forest Block	Patwari Halka No.and Name of Revenue Village, where Block is situated	Khasra Number	Area (in Hectare) and head of land	Situation and Limits	
1	2	3	4	5	6	
1	Jalke Part 1	P.H.No. 12 Jalke	753/1	5.858 (bade jhaad ka jungle)	North-	Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 03.
					East-	Artificial boundary line survey pillar No. 03 to 04. and from 04 to PF Block Compartment No. P201's Pillar No. 31.
					South-	PF Block Compartment No. P201's Pillar No. 31 to 32.
					West -	PF Block Compartment No. P201's Pillar No. 32 to artificial boundary line survey pillar No. 05, 06 and 06 to 01.
		Total	01	5.858		
2	Jalke Part 2	P.H.No. 12 Jalke	508/1	7.642 (bade jhaad ka jungle)	North -	Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 02.
					East -	Artificial boundary line survey pillar No. 02 to 05.
					South -	Artificial boundary line survey pillar No. 05 to 07 and to PF Block Compartment No. P201's Pillar No. 45
					West -	PF Block Compartment No. P201's Pillar No. 45 to Pillar No. 44 and from Pillar No.44 to artificial boundary line survey pillar No. 01.
		Total	01	7.642		
		Grand Total	02	13.500		

Reason for Publication of Notification :-

1. Name of Project - Modification in 220/132 KV Chhuri-Kotmikala Transmission line by user agency M/s. Ircon International Ltd. (Forest Area to be diverted 6.617 HEC.)
2. In principle approval for forest diversion given by Government of India, MOEF&CC letter No. FC-8/11/2024-IRO-Raipur/52 Dated 17-05-2024.
3. NOC given by Collector (Land record section), Korba letter 666/Bhu.aa./van adhi./2023 dated-02.06.2023

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRANAY MISRA, Joint Secretary.